हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2010 से 03/2011

भाग–एक

1 (क) **प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के शिमला मण्डल–प्प के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0 श्री मति अंजौरी कपूर अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) **हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–प्प, के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण**

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि () लाखों में
1	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	4	¿14.42
2	स्टाफ अग्रिम की राशि का समायोजन शेष	4(प)	¿0.91
3	आवासीय परिसरों से 31.0.3.11 तक रख–रखाव व जल प्रभार की वसूली शेष	4(पप)	¿27.79

4	ैमबनतमक ाकअंदबम की राशि का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना।	5	₹17.57
5	विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यो पर दिनांक 31.03.11 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण शेष वसूली	6	₹82.10
6	स्नातकोतर महाविद्यालय सोलन के निर्माण कार्य में ब्लण्ण् – च्लण्ण् ैमममज के गलत फैक्टर लगाने से स्टोर की हानि।	7	₹0.50
7	बसाल फेज–2 आवासीय कलौनी निर्माण कार्य से अधिक भुगतान	8(पप)	₹0.12
8	स्नातकोतर महाविद्यालय निर्माण कार्य में संविदाकार से मुआवजे की वसूली न करना।	9	₹2.96
9	ैैध् कसुम्पटी शिमला–9 (ग्रुप–4) निर्माण कार्य में अधिक भुगतान।	10	₹0.51
10	स्नातकोतर महाविद्यालय सोलन के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान।	11	₹0.52
11	यात्रा भत्ता दावे का अनियमित भुगतान।	13	₹0.34

(ग) <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन</u> :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ‘‘क’’ में दर्शाई गई है। वर्ष 04/88 से 03/10 तक मण्डल से सम्बन्धित 115 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम	**वर्ष**	**शेष पैरों की**	**टिप्पणी**

संख्या		संख्या	
1	1996–97	1	
2	2003–04	4	
3	2004–05	3	
4	2005–06	18	आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे
5	2006–07	14	
6	2007–08	12	
7	2008–09	13	
8	2009–10	11	
9	1988–89	2	
10	1989–90	1	
11	1990–91	2	नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे
12	1991–92	1	
13	1992–93	1	
14	1993–94	2	
15	1994–95	4	
16	1995–96	11	
17	1996–97	3	
18	1997–98	6	
19	01.04.99 से 15.01.2001	6	
	कुल पैरे	**115**	

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण** :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला के निर्माण मण्डल–2 शिमला के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2011 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री पदम सिंह कंवर उप निदेशक के पर्यवेक्षण में श्री सुरेश गुप्ता, श्री अनिल शर्मा, व श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.10.11 से 05.12.11 तक कसुम्पटी में किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु मास 10/2010 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

यह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मण्डल–2 के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अन्य अनियमितताओं के लिए ऊतरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क** :–

वर्ष 2010–2011 तक के लेखों के अंकेक्षण शुल्क की राशि के बारे में आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को पृथक से अनुरोध किया जाएगा।

4 **विविध अग्रिम की राशि ¸14.42 लाख का समायोजन न करना** :–

¸14,41,730/–की राशि दिनांक 31.03.11 को विविध अग्रिमों के रूप में विभिन्न संस्थाओं, फर्मों, व्यापारियों इत्यादि से समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण परिशिष्ट ‘‘क–1’’ पर संलग्न है। सम्बन्धित अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.1 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 के अधीन कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम दिनांक 31.03.11 को ¸90,613/–की राशि स्टाफ अग्रिम के रूप में वसूली हेतु शेष थी।

इन स्टाफ अग्रिमों का समय पर वसूली/समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनकी वसूली/समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 <u>राशि ₹27.79 लाख का जल प्रभार व रख–रखाव प्रभार के रूप में 31.03.11 तक वसूली हेतु शेष</u> :–

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों के मकानों/प्लाटों के रख–रखाव रजिस्टर व जल प्रभार रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.11 तक निम्नलिखित मकान/प्लाट मालिकों से रख–रखाव प्रभार के व जल प्रभार की राशि ₹27,79,484/–की वसूली की जानी शेष थी जिनका कलौनी बार विवरण नीचे दिया गया है। बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र उचित एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	आवास बस्ती का नाम	रख–रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.11 को शेष वसूली	जल प्रभार की दिनांक 31.03.11 को शेष वसूली
1	शोधी	6,14,814.00	4,05,449.00
2	बी0सी0एस0	6,65,966.00	4,77,999.00
3	सोलन फेस–2	4,51,485.00	1,951.00
4	बसाल	1,21,783.00	6,943.00
5	सोलन फेस–1	33,302.00	–
		18,88,582.00	**8,90,902.00**

<u>योग ₹27,79,484.00</u>

4.3 <u>रख–रखाव प्रभार व जल प्रभार की वसूली हेतु बकाया राशि में अत्याधिक वृद्धि</u> :–

रख–रखाव प्रभार व जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गए थे। जिसके फलस्वरूप बकाया राशि में अत्याधिक वृद्धि पाई गई। बस्तीवार विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है वसूली हेतु बकाया राशि में निरन्तर वृद्धि होना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मण्डलाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि रख–रखाव प्रभार व जल प्रभार की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

<u>रख–रखाव प्रभार बकाया राशि का विवरण</u>

आवास बस्ती का नाम	31.03.10 को वसूली हेतु बकाया राशि ( )	31.03.11 को वसूली हेतु बकाया राशि ( )	वर्ष में बकाया राशि में वृद्धि ( )	वृद्धि दर प्रतिशतता में
शोधी	3,67,337.00	6,14,814.00	2,47,477.00	67:
बी0सी0एस0	3,56,927.00	6,65,966.00	3,09,039.00	87:
जल प्रभार बकाया राशि का विवरण				
शोधी	2,94,299.00	4,05,449.00	1,11,150.00	38:
बी0सी0एस0	1,63,525.00	4,77,999.00	3,14,474.00	192:

5 **राशि ¸17.57 लाख के सुरक्षित अग्रिमों की राशि का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना :–**

हिमुडा निर्माण मण्डल–2, शिमला के विभिन्न निर्माण बिलों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न संविदाकारों को ैमबनतमक ।कअंदबम प्रदान किए गए थे को लम्बी अवधि तक समायोजित नहीं किया गया था। इस तथ्य से यह आभास होता है कि हिमुडा निर्माण मण्डल–2, शिमला द्वारा ैमबनपतमक ।कअंदबम का प्रयोग संविदाकारों को अनुचित लाभ देने के लिए किया गया। अतः असमायोजित सुरक्षित अग्रिमों को शीघ्र समायोजित किया जाए अन्यथा

ब्ॅक्म् ।बबवनदज ब्वकम पैरा 226 और 228(ए) के नियम 7 अनुसार कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

ैतण्छवण	छंउम वि्वता	ैमबनततमक ।कअंदबम ल्तंदजमक	डवदजीध्।उवनदज	ठंसंदबम वि ैमबनपतमक ।कअंदबम जपसस 31.03.11
1	ब्ध्व ॅमसतिम विपिबम ंज ैवसंदए क्पेजज ैवसंद	10ध्2010	20ए07ए745ण्00	5ए39ए320ण्00
2	ब्ध्व ैजंजम क्ंजं ब्मदजतम ंज डमीसप ैीपउसं	02ध्2011	2ए17ए800ण्00	2ए17ए800ण्00
3	ैभ्व् ठेंसए ैवसंद	08ध्2010	31ए17ए242ण्00	2ए41ए907ण्00
		01ध्2011	5ए39ए847ण्00	5ए39ए847ण्00
4	च्ैै ंज ड्डेनउचंजप ैीपउसं	11ध्2010	2ए18ए190ण्00	2ए18ए190ण्00
				17ए57ए064ण्00

6 **<u>निक्षेप निर्माण कार्य (डिपोजिट वर्क्स) के अर्न्तगत दिनांक 31.03. 2011 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गई ₹82.10 लाख की राशि की वसूली न करना</u> :–**

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निक्षेप कार्यो (डिपोजिट वर्क्स) हेतु प्राप्त राशि की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय की गई जिसका विवरण आगामी पृष्ठ पर दिया गया है। सी0पी0डब्लयू0 कोड के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सृजन से पूर्व प्राप्त की जानी आपेक्षित थी। प्राप्ति से अधिक व्यय की ₹82,10,205/–की राशि की वसूली न करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए, एवं निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय की गई राशि की वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाएं, अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 **<u>ब्प् एवं च्प् ैीममजे के सम्बन्ध में अधिक फैक्टर लगाने से ₹51,251/–की भण्डार की हानि</u>**

ब्प् एवं च्प् ैीममजे के स्टॉक/बिन कार्ड, और सम्बन्धित अभिलेख की पडताल में पाया गया कि सोलन सब डिवीजन के स्टोर इन्चार्ज

द्वारा श्री इन्द्र कुमार संविदाकार को कार्य ब्ध्व ।ककपजपवदंस ैजवतमल ;भ्ंसस ूपजी ज्वपसमजेद्ध वद मगपेजपदह ।तजे ठसवबा ठनपसकपदह ंज च्ळण् ब्वससमहम ैवसंदए क्पेजज ैवसंद भ्च्ण् हेतु निम्नलिखित ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे जारी की गई।

प्दकमदज छवण्ध्कंजम	फजल वि ब्लप् ैीममजे	फजल वि च्लप् ैीममजे
812ध्31.03.10	38ण्26 ेुजस	4ण्50 ेुजस
816ध्19.04.10	15ण्00 ेुजय	1ण्44 ेुजस
	53ण्26 ेुजस	**5ण्94 ेुजस**

उपरोक्त ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे संविदाकार को जारी करते समय स्टोर इन्चार्ज सोलन सब डिवीजन द्वारा वास्तविक से अधिक फैक्टर लगाते हुए अधिक मात्रा में ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे स्टोर से जारी किए दिखाये गए, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे स्टॉक से कम किए गए। यदि स्टोर इन्चार्ज द्वारा सही फैक्टर लगाया जाता तो स्टोर से कम मात्रा में ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे जारी किए जाते और ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे का अन्तिम स्टॉक वर्तमान से अधिक होता इस प्रकार वास्तविक से अधिक फैक्टर लगाते हुए स्टोर इन्चार्ज द्वारा स्टोर से अधिक ब्लप् एवं च्लप् ैीममजे जारी दिखाये गए, जिससे ₹51,251/–की हानि हुई इस राशि का विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹51,251/–की हानि की भरपाई उचित माध्यम से की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

विवरण :–

ैतण छवण	डांम वि ब्लप्ध्च्लप् ैीममजे	छवे वि ैीममजे पेेनमक	थ्ंबजवत नेमक इल श्रम ैजवतम च्मत ैीममज	ॅमपहीज ॅ चमत बिजवत नेक इल श्रम ैजवतम	।बजनंस बिजवत चमत ैीममज	।बजनंस ॅमपहीज वि ैीममज	क्पििमतमदबम वि ॅमपहीज
1	<u>ब्लप् ैीममजे</u>						

ज्जं डंता	21	15ण्088 ाह	316ण्84 ाह	12ण्750 ाह	267ण्75 ाह	49ण्09 ाह
ठीर्नीद डंता	188	15ण्088 ाह	2836ण्54 ाह	11ण्750 ाह	2209ण्00 ाह	627ण्54 ाह
छव डंता	46	15ण्088 ाह	694ण्04 ाह	12ण्000 ाह	552ण्00 ाह	142ण्04 ाह
ज्जं ैांजप	98	15ण्088 ाह	1478ण्62 ाह	14ण्00 ाह	1372ण्00 ाह	106ण्62 ाह
			5326ण्04 ाह		**4400ण्75 ाह**	**925ण्29 ाह**

2 च्लप्

ैममजे

छवण् डंतो	36	12ण्375 ाह	445ण्50 ाह	10ण्00 ाह	360ण्00 ाह	85ण्50 ाह
छवण् डंतो	12	12ण्375 ाह	148ण्50 ाह	10ण्00 ाह	120ण्00 ाह	28ण्50 ाह
			594ण्00 ाह		**480ण्00 ाह**	**114ण्00 ाह**

ब्लप् ैममजे 925ण्29 ाह ¿50ण्870६ त्र ू47ए071ण्35

च्लप् ैममजे 114ण्0 ाह /ू36ण्664 त्र ू4ए179ण्69

ू51ए251ण्04 वत ेल ू51ए251ण्00

8 **वाऊचर संख्याः 121, दिनांक 25.10.10 राशि ू6,87,864/– :–**

कार्य का नाम ैभ्ठ ंज ठेंसए चैंम.प्प् क्पेजज ैवसंद ;ैण् क्मअ ॅवता पद ब्ध्व त्वंकए त्ध्ूंससए ठध्ूंसस व ि तवंक ब्क्लभ्.श्रएम्प् च्कह मगज ॅैे–ैज म्गज ैमूमतंहमद्ध

संविदाकार का नाम डध्े भ्पसस ब्वदेजतनबजपवद ंदक म्दहपदममतपदह ब्वण् ैवसंदण्

चलित बिल सं0 2दक तनददपदह इपसस

माप पुस्तिका सं0 793/2010

अनुबन्ध संख्या 5 आफ 2010–11

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य निर्माण मण्डल के पत्र संख्याः भ्ठैं;क. प्प्द्व।.332ध्2010.2575.82ए दिनांक 17.07.2010 के द्वारा डध् भ्पसस ब्वदेजतनबजपवद ंदक म्दहपदममतपदह बवण्ैवसंद को ₹3,33,02,618.25 के लिए आबंटित किया गया। इस निर्माण कार्य पर निम्न टिप्पणियां आपेक्षित हैं।

(प) <u>2247.83 घन मीटर ैमतअपबंइसम `जवदम का कम लेखांकन करने के कारण ₹8.18 लाख की हानि</u> :–

अनुबन्ध की मद संख्याः 3, ष्म्गबंअंजपवद वित त्वंक ूंल पद भ्तक त्वबा ;ठसेंजपदह च्तवनपजतपजमकद्ध जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्याः 737, पृ0 सं0 8, 13, 30 और 50 पर की गई थी, की कुल मात्रा 2419.01 घन मीटर (34.36 घनमीटर + 78.03 घनमीटर + 193.27 घन मीटर + 2113.35 घन मीटर) का भुगतान ₹395/–प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्याः 793/2010 पृ0सं0 13 एवं पृ0 सं0 48 पर किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त खुदाई से प्राप्त पत्थरों की कुल मात्रा में से केवल 171.18 घनमीटर पत्थरों की मात्रा ही ैमतअपबंइसम डंजमतपंस के तौर पर संविदाकार के ैज त्नददपदह ठपसस – 2दक त्नददपदह ठपसस रिकॉर्ड माप पुस्तिका 737 पृ0 सं0 22, 55, लागत माप पुस्तिका 793 पृ0 सं0 8, 18) से दर ₹350/– + 3ण्95ः ंइवअम प्रति घन मीटर से रिकवरी की गई थी। जबकि शेष बचे ैमतअपबंइसम डंजमतपंस जिसकी मात्रा 2247.83 घनमीटर बनती थी की प्रविष्टि डै त्महपेजमत में दर्ज करनी अपेक्षित थी।

कुल मात्रा	2419.01 घन मीटर
रिकवरी की गई	<u>171.18 घन मीटर</u>
मात्रा शेष	**<u>2247.83 घन मीटर</u>**

परन्तु डै त्महपेजमत में इस प्रकार का कोई इन्द्राज/प्रविष्टि नहीं पाई गई और न ही शेष ैमतअपबंइसम डंजमतपंस का कोई विवरण सम्बन्धित अभिलेखों मे दर्ज पाया गया। इस प्रकार 2247.83 घन मीटर ैमतअपबंइसम डंजमतपंसध्पत्थरों का कम लेखांकन किया गया। अतः

2247.83 घन मीटर ैमतअपबंइसम ैजवदम के कम लेखांकन करने से भ्प्डन्क। क्पअपेपवद.प्प को ̧817,816/–(2247.83 घन मीटर)ग(350 + 395ः ंइवअमद्ध की वित्तीय हानि हुई। अतः 2247.83 घन मीटर ैमतअपबंइसम ैजवदम के कम लेखांकन करने को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा उपरोक्त वर्णित हानि की भरपाई उचित माध्यम से की जाए।

(पप) <u>संविदाकार को ̧0.12 लाख की राशि का अधिक भुगतान</u> :–

अनुबन्ध की मद संख्याः 14 ष्त्दकवउ त्नइइसम उेंवदतलध्च्वसल हवतंस तनइइसम उेंवदतल ूपजी ींतक `जवदमेष की पड़ताल में पाया गया कि 6जी चलित बिल तक माप पुस्तिका संख्याः 793/2010 के पृ0सं0 64 पर उपरोक्त मद हेतु 3361.07 घन मीटर दर ̧2050/–प्रति घन मीटर से ̧68,90,193.50 का भुगतान संविदाकार को किया गया था, परन्तु इस गणना में से अनुबन्ध की मद संख्याः 17 ष्च्तवअपकपदह ंदक संलपदह 75उउ कपं च्टण्ब्ण् च्पचमे वित ूममच ीवसमेष की कुल मात्रा 6जी चलित बिल तक 1302.09 त्उज या 5.75 घन मीटर को त्न्ण् डेंवदतल की मात्रा से नहीं घटाया गया था। (क्पं 75 उउ वत तंकपने त्र0ण्075ध्2त्र 0ण्0375उउ वत 0ण्0375 उजतए ंतमं वित च्अब चपचमत्र 22ध्7ग 0ण्0375 ग 0ण्0375 ग 1302ण्09 त्र 5ण्75 घन मीटर) इस प्रकार 75 उउ कपं च्अब चपचमे वित ूममच ीवसमे की कुल मात्रा 5.75 घन मीटर न घटाने के कारण संविदाकार को ̧11,798/–(5.75 घन मीटर ग ̧2ए050ध् प्रति घन मीटर) का अधिक भुगतान किया गया। अतः ̧11,798/–की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से शीघ्र की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

9 <u>राशि ̧2.96 लाख की राशि के मुआवजे को संविदाकार से प्राप्त न करना</u> :–

अनुबन्ध संख्याः 4 वर्ष 2009–10 के अर्न्तगत निर्माण कार्य ब्व ।ककपजपवदंस ैजवतमल ;भ्ंसस ूपजी ज्वपसमजद्ध ंज च्ळ ब्वससमहम ैवसंद को देरी से पूर्ण करने पर अधिक्षण अभियन्ता (साऊथ) हिमुडा शिमला–9 के पत्र संख्याः भ्प्डन्क।ध्15.297ध्08ै.ण्म्ैद्धटवस.प्.699ण्702ए दिनांक 16.03.2010 द्वारा आदेश दिए गए थे कि यदि संविदाकार उपरोक्त निर्माण कार्य दिनांक 30.04.2010 को पूर्ण नहीं करता तो

कार्यकारी अभियन्ता हिमुडा निर्माण मण्डल–2, शिमला–9 संविदाकार पर अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार ₹2,96,184.10 की राशि का मुआवजा लगाएंगे।

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 तक उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, इस प्रकार उपरोक्त पत्र अनुसार संविदाकार श्री इन्द्र कुमार पर अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार ₹2,96,184.10 मुआवजे के वसूल किए जाने आपेक्षित थे, परन्तु कार्यकारी अभियन्ता हिमुडा निर्माण मण्डल–2 शिमला–9 द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 14/2011, दिनांक 11.11.2011 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता से सूचना मांगी गई परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कार्यकारी अभियन्ता द्वारा कोई सूचना अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गई। अतः संविदाकार श्री इन्द्र कुमार से अनुबन्ध की धारा–2 अनुसार मुआवजे की राशि वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ मुआवजे की राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

10 <u>संविदाकार को ₹0.51 लाख की राशि का अधिक भुगतान</u> :–

अनुबन्ध संख्याः : 18 आफ 2007–08

संविदाकार का नाम : डध् व्उ च्तों `ैनतपदकमत डवींद

निर्माण कार्य का नाम : च्तजपंससल `मसि पिदंदबपदह `बीमउम ंज ;बींइतवहजपद्ध

झ्ंनउचजप `ैपउसं.9 ;ळत.प्टद्ध

कार्य ष्च्तजपंससल `मसि पिदंदबपदह `बीमउम ंज ;बींइतवहजपद्ध झ्ंनउचजप `ैपउसं.9 ;ळत.पअद्ध का आबंटन संविदाकार मैं0 ओम प्रकाश सुरेन्द्र मोहन को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्याः भ्टै;क.प्प्द्ध।.271६2007.2138.45ए दिनांक 06.07.07 द्वारा राशि ₹9,38,98,988/–के लिए किया गया, यह कार्य 18 मास की अवधि में समाप्त किया जाना अपेक्षित था इस कार्य के समस्त बिलों (कार्य आबंटन से मार्च 2011 तक) का विस्तृत अंकेक्षण किया गया, जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गईः–

10.1 **<u>कटिंग इन अर्थ वर्क के कार्य की गलत गणना से संविदाकार को ¸2,513/–की राशि का अधिक भुगतान</u>** :–

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल जो मापन पुस्तिका संख्याः 566/07 के पृ0 सं0 1 से 41 पर दर्ज था, की अनुबन्ध मद संख्याः 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की कार्य मात्रा 1417.28 घन मीटर का भुगतान ¸205/–प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका 611/07 के पृष्ठ संख्याः 2 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्याः 566/07 के पृष्ठ संख्याः 1 से 5 पर दर्ज की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर0डी0 0/5 पर काटे गए क्रास सैक्शन का क्षेत्रफल 41.91 घन मीटर लिया गया जबकि वास्तव में यह क्षेत्रफल 39.46 घनमीटर बनता था। इस प्रकार आर0डी0 0/0 से आर0डी0 0/05 व आर0डी0 0/5 से 0/10 के बीच की कटिंग की मात्रा 12.26 घनमीटर दर ¸205/–प्रति घन मीटर से ¸2,513/–का अधिक भुगतान किया गया अधिक भुगतान की गई मात्रा 12.26 घन मीटर का विवरण निम्न प्रकार से है :–

आर0डी0	क्रास सैक्शन का क्षेत्रफल	औसत क्षेत्रफल	लम्बाई	देय मात्रा घन मीटर	भुगतान की मात्रा घन मीटर	अन्तर घन मीटर
0/0	37.29	–				
0/5	39.46	37.29 + 39.46 / 2	5	191.87	198.00	6.13
0/10	38.91	39.46 + 38.91 / 2	5	195.92	202.05	6.13
						12.26

10.2 **<u>आर0सी0सी0 वर्क की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ¸1080/– का अधिक भुगतान</u>**

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल में अनुबन्ध की मद संख्याः 12 ष्ध्ध्द ब्ब भ्ंअपदह `जतंदहजी व ि ड.20 पद विनदकंजपवदेए विवजपदहेष्

के कार्य की मात्रा 156.58 घन मीटर का भुगतान ₹3375/–प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका 611/08 के पृष्ठ संख्याः 7 पर किया गया था इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका 566/07 के पृष्ठ संख्याः 7, 10, 12, 23, 25 व 29, 40 पर दर्ज की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि कॉलम बी–3 की फाऊंडेशन व फूटिंग में आर0सी0सी0 की गणना गलत की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है :–

गणना डठ 566६07 च्ण् छवण् 9 अनुसार 1ग2ण्00ग2ण्10ग0ण्20त्र0ण्84 घन मी0

1ग0ण्35 / 3 क्;2ण्10ग2ण्1 0द्ध . ;0ण्48ग0ण्40द्ध ;2ण्10ग2ण्10द्ध;0ण्48ग0ण्40द्धद्धत्र0ण्94 घन मी0

ज्वजंस

त्र 1ण्78 घन मी0

सही गणना 1ग2ण्00ग2ण्10ग0ण्20त्र0ण्84 घन मी0

1ग0ण्35 / 3 क्;2ण्00ग2ण्1 0द्ध . ;0ण्48ग0ण्40द्ध ;2ण्00ग2ण्10द्ध;0ण्48ग0ण्40द्धद्धत्र0ण्62 घन मी0

ज्वजंस

त्र 1ण्46 घन मी0

अधिक मात्रा = 0.32 घन मीटर (1.78 घन मीटर – 1.46 घन मीटर)

अधिक भुगतान = 0.32 घन मीटर ग ₹3ए375६ त्र ₹1ए030६

अतः आर0सी0सी0 की देय कार्य मात्रा 1.43 घन मीटर के स्थान पर संविदाकार को 1.75 घन मीटर की आर0सी0सी0 की मा.ा का भुगतान किया गया इस प्रकार संविदाकार को ₹1,080/–का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई ₹1,080/–की वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 <u>ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाये गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान</u> :–

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित 1 से 11 चलित कार्य बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन बिलों में दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्टों को ईंट की दिवार से लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक साईज 0ण्30उ ग 0ण्10उ ग 0ण्15उ बनाने का प्रावधान था तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से भुगतान किया गया था। ब्रिक वर्क मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्टों को लगाने के लिए दिवारों में बनवाये गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाकों की मात्रा को ब्रिक वक्र की कार्य मात्रा से कम नहीं किया गया था, जबकि कार्य सपैसीफिकेशन (ब्रिक वर्क) के अनुसार 0.10 मीटर के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिक वर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य के 1 से 11 चलित बिलों में सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्ड फास्ट सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक का भुगतान अलग से किया गया। अतः होल्ड फास्टों में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाकों की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। एक बार ब्रिक वर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्ड फास्टों के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकार को ₹45,263/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

चलित बिल सं0	डठ छ्वण ध्ड्णछ्वण	होल्ड फास्ट की सं0	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दोबारा भुगतान की गई	ब्रिक वर्क की दर प्रति घन मीटर	राशि
11	779/40	3048	3048ग0ण्30ग0ण्10ग0ण्15त्र13ण्716 घनमी0	3300/–	45,2 8
				वत`ेल	45,2 0

10.4 <u>अनुबन्ध की मद संख्याः 12(सी) कॉलम पिलर के कार्य मात्रा में गलत गणना के कारण ₹1,788/–का अधिक भुगतान</u> :–

उपरोक्त कार्य के दूसरे चलत बिल की पड़ताल पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्याः 12(सी) (कॉलम पिलर की कार्य मात्रा) माप पुस्तिका 611/08 पृष्ठ 17 में 80.25ड^3 ली गई जबकि उक्त मद की सही गणना 79.75 ड^3 बनती है इस प्रकार कॉलम पिलर की कार्य मात्रा 0.50 ड^3 अधिक ली गई जिस हेतु ₹3,575/–की दर से ₹1,788/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹1,788/–की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10.5 <u>अनुबन्ध की मद संख्याः 12(डी) ैजंपत ब्ेंम की कार्य मात्रा को गलत ब्ंततल थ्वतूंतक करने के कारण ₹644/–का अधिक भुगतान</u> :–

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11वें चलत बिल की पड़ताल पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्याः 12(डी) (ैजंपत ब्ेंम) की कार्य मात्रा माप पुस्तिका संख्याः 753/09 पृष्ठ 86 पर 28.57ड^3 ली गई परन्तु उक्त कार्य मात्रा को ब्ंततल थ्वतूंतक के समय माप पुस्तिका संख्याः 779/10, पृष्ठ 30 पर 28.75ड^3 लिया गया इस प्रकार उपरोक्त कार्य की मात्रा को ब्ंततल थ्वतूंतक के समय 0.18 ड^3 घन मीटर अधिक लिया गया जिस हेतु ₹3,575/–की दर से ₹644/–(0ण्18 ग ₹3575द्) का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹644/–की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

11 <u>संविदाकार को ₹52,923/–की राशि का अधिक भुगतान</u> :–

अनुबन्ध संख्याः	4 ऑफ, 2009–10
संविदाकार का नाम	श्री इन्द्र कुमार
निर्माण कार्य का नाम	ब्ध्व ।ककपजपवदंस ैजवतमल ;भ्ंसस ूपजी ज्वपसमजद्ध ।तजे ठसवबा ठनपसकपदह ंज च्ण्ळण् ब्वससमहमए ैवसंदण
चलत बिल संख्याः	तृतीय

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन अवार्ड पत्र संख्याः एच0बी0एस0 (एस0डी0–2) ।.314ध्2009.3216.17ए दिनांक 17.08.09 द्वारा ृ29,61,841.03 के लिए श्री इन्द्र कुमार को किया गया तीसरे चलित बिल जिसकी प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्याः 733/09 में की गई थी की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गई।

11.1 अनुबन्ध की विभिन्न मदों, जिनका विवरण निम्न दिया गया है की जाँच करने पर पाया गया कि मदों की रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्याः 732/09 पर हिमुडा द्वारा पत्र संख्याः हिमुडा/आर्क/पी0जी0 कॉलेज/सोलन/09, दिनांक 28.11.09 के अनुसार स्वीकृत ड्राईंग/डिजाईन अनुसार नहीं की गई थी। जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

<u>विवरण</u> :–

(1) <u>अनुबन्ध मद संख्याः 20,</u> <u>25 एम0एम0 कोटा स्टोन स्लैब फलोरिंग।</u>

निर्माण जगह	**माप पुस्तिका सं0/पृ0 सं0**	**गणना जो की गई**	**ड्राईंग/ डिजाईन अनुसार गणना**	**कुल अधिक मात्रा**	**दर**	**कुल अधिक भुगतान**
लाबी	732/37,38	37.51उ^2	34ण20उ^2	3ण31उ^2	775ध् . चमत उ^2	2,565.25
पैसेज	732/37,38	13.53उ^2	शून्य	13.53उ^2	775ध् . चमत उ^2	10,485.75
						13,051.00

(2) <u>अनुबन्ध मद संख्याः 12,</u> <u>प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग सीमेन्ट बान्डिड पार्टिकल बोर्ड सीलिंग</u>

लाबी	732/39	37.51उ^2	34ण20उ^2	3ण31उ^2	485६.चमत उ^2	1605.35
स्टेज	732/39	36.75उ^2	23ण65उ^2	13ण10उ^2	485६.चमत उ^2	6353.50
पैसेज	732/39	13.53उ^2	शून्य	13ण53उ^2	485६.चमत उ^2	6562.05
टायलेट	732/39	5.03उ^2	4.66उ^2	0.37उ^2	485६.चमत उ^2	179.45
पैट्रिज	732/39	6.10उ^2	5.33उ^2	0.77उ^2	485६.चमत उ^2	373.45
						15,073.80

वत ेले ¸15ए074६.

(3) <u>अनुबन्ध मद संख्याः ई–1,</u> <u>40एम0एम0 थिक सीमेन्ट कंक्रीट फलोरिंग</u>

बिलो स्टेज इन मेन हॉल	732/43	36.75उ^2	23.63उ^2	13.12उ^2	110६.चमत उ^2	1443.20

1,443.20
वत`ेल ₹1,143.00

11.2 **<u>ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को ₹3,274/–का अधिक भुगतान</u> :–**

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि दाबाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था इन होल्ड फास्टों को इन्टों की दीवारों में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक ¹(प्रम 0ण30 ग 0ण10उ ग 0ण15उ) का प्रयोग होता है तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से मापन व भुगतान किया जाता है माप पुस्तिका में ब्रिक वर्क की पड़ताल पर पाया गया कि होल्ड फास्टों को लगाने के लिए दिवारों में सीमेन्ट कंक्रीट की मात्रा को ब्रिक कार्य की मात्रा से कम नहीं किया गया था तथा ब्रिक वर्क की 0.963उ³ मात्रा का दोबारा भुगतान कर दिया गया इस प्रकार संविदाकार को ₹3,274/–अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

रिकार्ड माप पुस्तिका व पृष्ट सं0	लागत माप पुस्तिका व पृष्ठ सं0	मद संख्या	होल्ड फास्टों की मद सं0	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो कम नहीं की गई	दर प्रति घन मीटर	राशि ₹
732/09 पृष्ठ 31	733/09 पृष्ठ 26	14	214	214ग0ण30ग0ण10ग0ण15त्र 0ण963उ³	3400	3274

अतः ₹3,274/–के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

11.3 <u>अतिरिक्त कार्य मद की गलत दर निर्धारण से संविदाकार को ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान</u> :–

अतिरिक्त कार्य मद ष्ब्त्वअपकपदह ंदक संलपदह ब्मउमदज ब्वदबतमजम 1रू8रू16 ंदक बनतपदह बवउचसमजम वद `संइंदक सिववत मगबसनकपदह वित बवेज वि वितउ ूवता `बतममक संपक नदकमत सिववतपदहष की कार्य मात्रा 37.44 घन मीटर का भुगतान ₹1361.36 प्रति घन मीटर (प्रोविजनल दर) से माप पुस्तिका संख्याः 733/09 के पृष्ठ 38 द्वारा किया गया था। इस कार्य मद की दर का निर्धारण अनुबन्ध की धारा 12(पप) के अनुसार अपेक्षित था। कार्य अनुबन्ध में अतिरिक्त कार्य मद से सम्बन्धित समान श्रेणी की निम्न मदें शामिल थी सामान श्रेणी की मदों के अनुसार इस अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण निम्न प्रकार ₹1100/– (पूर्ण दर) व ₹825/– (प्रोविजनल दर) होना अपेक्षित था।

<u>विवरण</u> :–

अतिरिक्त कार्य मद से सम्बन्धित समान श्रेणी की मदों के लिए संविदाकार द्वारा भरी दरों के आधार पर प्रतिशतता

अनुबन्ध क्रम संख्या	समान श्रेणी की मदों का संक्षिप्त विवरण	एच0पी0एस0आर0 की दर	संविदाकार द्वारा भी गई दर
2;िद्ध	च्ध्ऱ ब्ण्ब्ण 1रू2रू4 `नेचमदकमक सिववत तववि	1751.90	3400.00
3	च्ध्ऱ ब्ण्ब्ण 1रू2रू4 तंपदवितबमक बवदबतमजम बींतहपमे	6664.00	6500.00
		₹8415.90	₹9900.00

संविदाकार द्वारा समान श्रेणी की मदों के लिए भरी गई दरों की प्रतिशतता

$$= \frac{9900 - 8415.90}{8415.90} \text{ ग } 100 \text{ त्र } 17\text{ण्}64\text{ः}$$

एच0पी0एस0आर0 1999 के अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की दर ₹935.30 + संविदाकार का प्रीमियम (सामान श्रेणी की कार्य मदों के लिए) / 17ण्64ः ₹164ण्98

₹1100ण्28

या ₹1100.00

अतः प्रोविजनल दर ₹1100 ग 75ः त्र ₹825६. प्रति घन मीटर की दर से देय था लेकिन इस मात्रा का भुगतान ₹1361.36 प्रति घन मीटर की दर से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹20,081/–क्ष(37.44 घन मीटर ग ₹1361ण्36 . ₹825)द्व का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशि ₹20,081/–की वसूली सुनिश्चित की जाए।

12 **संविदाकार को ₹0.08 लाख की राशि का अधिक भुगतान** :–

वाऊचर संख्याः 28, दिनांक 01.10.2010

अनुबन्ध संख्याः 10 ऑफ, 2009–10

संविदाकार का नाम मैसर्ज ए0जी0 कार्पोरेशन

निर्माण कार्य का नाम डाटा सैन्टर बिल्डिंग मैहली

चलत बिल संख्याः पांचवां

उपरोक्त निर्माण कार्य के अनुबन्ध की विभिन्न मदों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को मद की गलत गणना व स्टील कार्य में अधिक फैक्टर लगाने के कारण ₹7,941/–की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः ₹7,941/–की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.1 **अनुबन्ध की मद संख्याः 1** **कटिंग इन अर्थ वर्क**

माप पुस्तिका पृ0 सं0	रिकॉर्ड माप पुस्तिका पृ0 सं0	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक देय मात्रा	अधिक भुगतान की गई मात्रा	भुगतान की दर	कुल अधिक भुगतान
772/4	747/5	198ण्18उ 3	147ण्43उ 3	48ण्75उ 3	80	3900

9	1					
772/4 9	747/5 0	98ण्683उ^{3}	90ण्023उ^{3}	8ण्663उ^{3}	80	693
अनुबन्ध की मद संख्याः 20			**हॉफ ब्रिक मेसनरी**			
772/5 5	771/5 7	95ण्263उ^{2}	94ण्033उ^{2}	1ण्233उ^{2}	440	541
अनुबन्ध की मद संख्याः 13(ए)				**सीमेन्ट कंकरीट एम–20 फुटिंग**		
772/5 3	771/5 2	7ण्963उ^{3}	7ण्303उ^{3}	0ण्663उ^{3}	3140	2072
					कुल राशि	**¸7,206 .00**

12.2 उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि फ्लैट आयरन कार्य में फ्लैट आयरन की मात्रा को रनिंग मीटर में कि0ग्रा0 में परिवर्तित करते समय गलत फैक्टर लगाने से संविदाकार को ¸735/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः ¸735/–की वसूली संविदाकार से शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

<u>अनुबन्ध की मद संख्याः 43, स्टील वर्क थ्संज प्तवद 40 ग 6</u>

लागत माप पुस्तिका/ पृ0 सं0	रिकॉर्ड माप पुस्तिका/ पृ0 सं0	ली गई मात्रा कि0ग्रा0	अंकेक्षण के अनुसार ली जानी वाली मात्रा कि0ग्रा0	अधिक ली गई मात्रा	भुगतान की दर	कुल अधिक भुगतान
771६36	747६47	11ण्20 तउज ग 3ण्50 त्र39ण्20	11ण्20 तउज ग 1ण्90 त्र 21ण्28	17ण्92 ाह	41 चमत ाह	735

13 **<u>यात्रा भत्ता दावे के रूप में ¸0.34 लाख की राशि का अनियमित भुगतान</u> :–**

यात्रा भते दावों की पड़ताल पर पाया गया कि सहायक अभियन्ताओं को व्यक्तिगत वाहन के उपयोग पर यात्रा भत्ता दावे के

रूप में ¸34,554/–का अनियमित भुगतान किया गया। हिमाचल आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्याः हिमुडा 5–439/2005, दिनांक 16.02.05 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेना आवश्यक था परन्तु निम्नलिखित यात्राओं के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग किया गया जिस कारण यात्रा भत्ते दावे के रूप में ¸34,554/–का अनियमित भुगतान किया गया जिसका उद्देश्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

यात्रा करने वाले का नाम	वा0सं0 व दिनांक	वाहन द्वारा तय दूरी जिसका भुगतान किया गया	भुगतान की गई दर प्रति कि0मी0	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
अरूण शर्मा सहायक अभियन्ता	169 22.05.10	1230 कि0मी0	6.00	7380	माह 03/10 व 04/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
भोपाल सिंह सहायक अभियन्ता	77 04.11.10	631 कि0मी0	6.00	3786	माह 05/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
	81 08.12.10	418 कि0मी0	6.00	2808	माह 06/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
	81 08.12.10	364 कि0मी0	6.00	2184	माह 07210 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
	122	622	6.00	3732	माह 08/10 में

29. 01. 11	कि0मी0			विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
144 21. 02. 11	622 कि0मी0	6.00	3732	माह 09/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
144 21. 02. 11	546 कि0मी0	6.00	3276	माह 10/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
144 21. 02. 11	690 कि0मी0	6.00	4140	माह 11/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
144 21. 02. 11	586 कि0मी0	6.00	3516	माह 12/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।

कुल राशि ¸34,554/–

14 **चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ¸1612/–का अनियमित भुगतान** :–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः एच0एस0आर0एच(इम्पेनलमैन्ट) 5/2010–प्टए दिनांक 04.09.2010 द्वारा राना औरथो केयर सेन्टर शिमला की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु मान्यता रद्द कर दी गई परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा डिवीजन–प्प द्वारा उकत संस्था की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान किया जा रहा था जोकि अनियमित है माह 10/10 में उक्त संस्था द्वारा लिखी गई दवाईयों के रूप में ¸1612/–का भुगतान किया गया उक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ¸1612/–की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें ¸1612/– के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :–

वाऊचर संख्याः व दिनांक	आवेदन का नाम	दिनांक जिस दिन चिकित्सक द्वारा दवाईयां लिखी गई	राशि जितने की दवाईयां लिखी गई
109, दिनांक	राजेश शर्मा	27.09.10	1,186.00

23.10.10			
109, दिनांक 23.10.10	राजेश शर्मा	27.09.10	426.00
			c1612/–

15 **स्टाक लेखा से सम्बन्धित जी0आर0 प्रस्तुत न करना :–**

सोलन सब डिवीजन के स्टॉक लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि जी0आर0 संख्या 807 व 844 अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि इन जी0आर0 द्वारा दर्शाए गए सामान की प्राप्ति की बिन कार्ड में प्रविष्टि कर दी गई तथा उक्त सामान को स्टॉक से जारी भी कर दिया गया जी0आर0 को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अभाव में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि बिन कार्ड में सामान की जो प्राप्ति दर्शायी गई क्या वास्तव में उतने ही सामान की प्राप्ति हुई। अतः सामान प्राप्ति से सम्बन्धित जी0आर0 को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें तथा विभागीय स्तर पर मामले की पड़ताल की जाए कि जी0आर0 संख्याः 807 व 844 द्वारा कितनी सामग्री प्राप्त हुई तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। जी0आर0 द्वारा प्राप्त सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है।

जी0आर0 सं0 जिसके द्वारा सामान की प्राप्ति हुई	जी0आर0 द्वारा प्राप्त सामग्री का नाम	दिनांक जिस दिन सामग्री की प्राप्ति हुई	बिन कार्ड सं0	सामग्री की मात्रा
807	ैजममस 8उउ	14.05.10	807	4ण5 डज
844	ैजममस 8उउ	26.03.11	217	1ण750डज
844	ैजममस 10उउ	26.03.11	219	2ण950डज
844	ैजममस 12उउ	26.03.11	131	2ण100डज
844	ैजममस 16उउ	26.03.11	140	2ण090डज

16 **तेल की खपत निर्धारित न करना :–**

अंकेक्षण के दौरान मारूति–800 वाहन संख्याः भ्च्.63.0607 की लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि वाहन की तेल की खपत सक्षम अधिकारी से निर्धारित नहीं की गई है नियमानुसार तेल की

खपत हेतु वार्षिक या नवीनीकरण की अवधि जो भी पहले हो को तेल की खपत निर्धारित की जानी चाहिए। तेल की खपत हेतु मामला अधिशासी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 13, दिनांक 03.11.11 द्वारा उठाया गया परन्तु अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने तक तेल की खपत निर्धारण हेतु कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण तेल के वास्तविक खपत की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया जाता है कि सक्षम अधिकारी से तेल की खपत निर्धारित की जाए तथा यदि निर्धारित खपत वास्तविक खपत से अधिक हो तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित संविदाकारों के साथ किए गए अनुबन्धों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों का कार्य अनुबन्धित समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है, तथा अंकेक्षण किए जाने तक भी इन्हें पूर्ण नहीं किया पाया गया, अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार संविदाकार द्वारा यदि निर्माण कार्य अनुबन्धित समय से पूर्ण नहीं किया जाता तो अधिकतम अनुबन्धित राशि का 10ः भाग मुआवजे के रूप में वसूल किया जाना आपेक्षित था। परन्तु संविदाकारों द्वारा अत्यन्त विलम्ब किए जाने पर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, निर्माण कार्यों को अनुबन्धित समय में पूर्ण न किए जाने पर एक तरफ तो विभागीय कार्य कुशलता प्रभावित होती है वहीं दूसरी और मुआवजे की राशि से भी विभाग को वंचित होना पड़ता है। अंकेक्षण में पाये गए इस प्रकार के प्रकरण निम्न प्रकार से हैं, जिसके अनुसार ¸41,73,322/–की राशि निर्माण कार्यों में देरी किए जाने के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में संविदाकारों से देय बनती थी। ¸41,73,322/–की राशि मुआवजे के रूप में न वसूल किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम एग्रीमैन्ट सं0	संविदाकार का नाम	कार्य आरम्भ करने की तिथि/कार्य पूर्ण करने की तिथि	विलम्ब अवधि (माह) 31. 03.11 तक	निर्माण लागत/निर्माण लागत दिनांक 31.03.11	एग्रीमैन्ट की धारा–2 के अन्तर्गत मुआवजे की राशि	टिप्पणी
1	ब्ध्व ।ककपजपवदंस ेजवतमल ;भ्ंसस ूपजी ज्वपसमज वद मगपेजपदह ।तजेए ठसवबा ठनपसकपदह वि च्ळ ब्वससमहम ैवसंदए भ्ण्च्ण्द्ध ।हतममउमदज छवण 4 वि 2009.10	श्री इन्द्र कुमार	01.09.09 28.02.10	13 माह	29,61,841.00	2,96,184.00	दिनांक 08.12.10 को चौथे चलित बिल का भुगतान किया गया था।
2	ब्ध्व ॅमसतिम र्वपिबम ठनपसकपदह ंज ैवसंदए क्पेजज ैवसंदए भ्ण्च्ण	श्री नमित गुप्ता	26.02.09 25.08.10	19 माह	1,65,07,296.00	16,50,730.00	दिनांक 08.03.11 को सातवें चलित बिल का भुगतान किया गया था।
3	ब्ध्व ैंदोतपज ब्वससमहम ंज ैवसंदए क्पेजजण ैवसंद	श्री अरविन्द गुप्ता	24.01.07 23.01.08	38 माह	1,98,09,231.00	19,80,923.00	दिनांक 29.03.11 को इक्किसवें चलित बिल का भुगतान किया गया था।
4	ब्ध्व ैनइ श्रंपस ंज ैवसंद	श्री	05.02.	32	24,54,853.	2,45,485.	दिनांक 01.

अरविन्द कुमार	08 05.08.08	माह	00	00	10.10 को आठवें चलित बिल का भुगतान किया गया था।
				₹41,73,322	

18 निष्पादित निर्माण कार्यों में अत्याधिक मात्रा का विचलन :–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चलत बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य मदों की मात्रा निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाया गया। जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही निष्पादित करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियां पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई गई परन्तु फिर भी इस प्रकार की त्रुटियों व गम्भीर अनियमितताओं की अनदेखी करके इन्हें बार–बार दोहराया जा रहा है, जो कि नियमों की पूर्णतया अवहेलना है, उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि का आवश्यक समाधान व दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

निष्पादित निर्माण कार्यो में अत्याधिक मात्रा कें विचलन का विवरण

एग्रीमैन्ट सं0	निर्माण कार्य का नाम	एग्रीमैन्ट में दर्ज मद का नाम	चलित बिल सं0	एग्रीमैन्ट मे दर्ज निर्धारित मात्रा	मद की वास्तविक भुगतान की गई मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक राशि	विचलन प्रतिशत
4 वि 2009. 10	ब्ध्व ाककपजपवदंस ैजवतमल ;भ्ंसस ूपजी ज्वपसमजद्ध	;9द्ध च्तवअपकपदह ूवक ूवता पद तिंउमे	3तक	1ण25उ^3	3ण75उ^3	2ण50उ^3	67100 चमत बनउ	1ए67ए750	200ः
		(11) च्क्ष 40उउ जीपबा ेपदहसमध्क्वनइसम समंि चंदमसमकए ूपदकवू ेजंनजजमत	3तक	16ण38 उ^3	27ण303उ ^{3}	10ण923उ ^{3}	2000 चमत बनउ	21ए840	67ः
27 वि 2008. 09	ब्ध्व ूमसतिम वर्पिबम ठनपसकपदह ंज ैवसंद क्पेजज ैवसंद भ्फ्	;1द्ध ब्नजजपदह पद मंतजी ूवता पद ंसस ीमपहीजे – पद ंसस ापदक वि ेवपस	6जा	99ण68 उ^3	3874ण33 उ^3	2874ण65 उ^3	110 चमत बनउ	3ए16ए211	287ः
		;6द्ध च्ब्ब् ब्ण्ब् 1रू4रू8	6जा	33ण59 उ^3	70ण00 उ^3	36ण41 उ^3	2100 चमत बनउ	76ए461	108ः
		;7द्ध च्ब्ब् ब्ण्ब् 1रू4रू8	6जा	77ण45 उ^3	155ण76 उ^3	78ण31 उ^3	2200 चमत बनउ	1ए72ए282	100ः

		;12द्ध च्ध्ऱ ब्ण्ब्ण् वि ड. 20 पद ब्ड 1रु3	6$^{जा}$	12ण्40 उ^{3}	40ण्98 उ^{3}	28ण्58 उ^{3}	7500 चमत बनउ	2ए14ए3 50	230ः
		;19द्ध ठतपबा ूवता 2^{दक} ब्सें	6$^{जा}$	132ण्01 उ^{3}	207ण्73 उ^{3}	75ण्72 उ^{3}	2800 चमत बनउ	2ए12ए0 16	57ः
10 2009. 10	वि क्ंजं बमदजतम इनपसकपदह ंज झ्ेंनउचजप	13;द्ध च्ध्ऱ ब्मउमदज बंदबतमजजम ड.20 विनदकंजपवद विजजपदह	5$^{जा}$	564ण्45 उ^{3}	1016ण्98 उ^{3}	452ण्53 उ^{3}	3140 चमत बनउ	14ए20ए 944	80ः
27 2008. 09	वि ॅमसतिम वर्िपिबम इनपसकपदह ंज ैवसंद	;1द्ध ब्नजजपदह पद मंतजी ूवता	6$^{जा}$	999ण्68 उ^{3}	3874ण्33 उ^{3}	2874ण्65 उ^{3}	110 चमत बनउ	31ए62ए 115	288ः
27 2008. 09	वि ॅमसतिम वर्िपिबम इनपसकपदह ंज ैवसंद	;6द्ध च्ध्ब् ब्मउमदज ब्वदबतमजम 1रु4रु8 वर्ि 40उउ	6$^{जा}$	33ण्59 उ^{3}	70 उ^{3}	36ण्41 उ^{3}	2100 चमत बनउ	76ए461	108ः
27 2008. 09	वि ॅमसतिम वर्िपिबम इनपसकपदह ंज ैवसंद	;7द्ध च्ध्ऱ ब्मउमदज ब्वदबतमजम 1रु4रु8 25 उउ वर्ि	6$^{जा}$	77ण्45 उ^{3}	155ण्76 उ^{3}	78ण्31 उ^{3}	2200 चमत बनउ	17ए228	101ः
27 2008. 09	वि ॅमसतिम वर्िपिबम इनपसकपदह ंज ैवसंद	;19द्ध ठतपबा ूवता 2^{दक} बसें इनतदज पद ब्मउमदज डेंजंत 1रु6	6$^{जा}$	132ण्01 उ^{3}	207ण्73 उ^{3}	75ण्72 उ^{3}	2800 चमत बनउ	2ए12ए0 16	57ः
27	वि ॅमसतिम	;23द्ध तंदकवउ तनइसम	6जी	1087ण्2	2112ण्7	1025ण्5	2000	20ए51ए	94ः

2008. 09	र्वीपिबम इनपसकपदह ंजेवसंद	डेंदंतल ब्वदबतमजजम	पद 1रु6रु12	ब्मउमदज	3 उ3	6 उ3	3 उ3	चमत बनउ	060

19 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– यह अलग से जारी नहीं की गई है। समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही किया गया।

20 **निष्कर्ष** :– लेखाओं में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)196/97–खण्ड–6, दिनांक, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

1 प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला–171002.

पंजीकृत :– 3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

(अनूप कुमार घारू)

परिशिष्ट–''क''

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2, शिमला–171009 के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2010 तक कें पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 25	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 22	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25(1 से 4)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20(1)	अनिर्णीत

12	पैरा 20(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 25	अनिर्णीत
15	पैरा 27	अनिर्णीत
16	पैरा 28	अनिर्णीत
17	पैरा 29	अनिर्णीत
18	पैरा 31	अनिर्णीत

(5) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007</u>

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 19	अनिर्णीत
10	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत

(6) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008</u>

1	पैरा 6(ग)(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत

7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत

(7) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009</u>**

1	पैरा 4(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
2	पैरा 4(ख)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
3	पैरा 5(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
4	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
6	पैरा 6(ख)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
7	पैरा 6(ग)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
8	पैरा 6(घ)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
9	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत

10	पैरा 6(च)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
11	पैरा 7	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
12	पैरा 8(क)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
13	पैरा 8(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
14	पैरा 8(ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
15	पैरा 9(क से ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
16	पैरा 10(क से ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
17	पैरा 11(क से ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
18	पैरा 12(क से ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
19	पैरा 13	अनिर्णीत	
20	पैरा 14	अनिर्णीत	
21	पैरा 15	अनिर्णीत	
22	पैरा 16	अनिर्णीत	

23	पैरा 17	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
24	पैरा 18	अनिर्णीत	
25	पैरा 19	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
26	पैरा 20	अनिर्णीत	
27	पैरा 21	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
28	पैरा 22	अनिर्णीत	
29	पैरा 23	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
30	पैरा 24(क)	अनिर्णीत	
31	पैरा 25	अनिर्णीत	
32	पैरा 26	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
33	पैरा 27	अनिर्णीत	
34	पैरा 28	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
35	पैरा 29	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 4(क)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)

2	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
3	पैरा 5	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
4	पैरा 6	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
5	पैरा 7	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9(1 व 2)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
8	पैरा 10(1)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
9	पैरा 11	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13(क)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
12	पैरा 13(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
13	पैरा 13(ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक

			26.11.11 के अनुसार)
14	पैरा 13(घ)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
15	पैरा 13(ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
16	पैरा 14	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
17	पैरा 15	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
18	पैरा 16	अनिर्णीत	
19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 18	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
21	पैरा 19	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
22	पैरा 20	अनिर्णीत	
23	पैरा 21	अनिर्णीत	
24	पैरा 22(क)	अनिर्णीत	
25	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 23	अनिर्णीत	
27	पैरा 24	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
28	पैरा 25	अनिर्णीत	
29	पैरा 26	अनिर्णीत	

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(1) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89</u>**

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90</u>**

1	पैरा 23(ङ)(1)	अनिर्णीत

(3) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91</u>**

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92</u>**

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93</u>**

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94</u>**

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) **<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95</u>**

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत

2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96</u>

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97</u>

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत

(10) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98</u>

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001</u>

1	पैरा 21 (दोनों	अनिर्णीत

	मण्डल)			
2	पैरा	22	(दोनों	अनिर्णीत
	मण्डल)			
3	पैरा	78	(दोनों	अनिर्णीत
	मण्डल)			
4	पैरा	79	(दोनों	अनिर्णीत
	मण्डल)			
5	पैरा	80	(दोनों	अनिर्णीत
	मण्डल)			
6	पैरा	81	(दोनों	अनिर्णीत
	मण्डल)			